वित्त निर्देश- 05 /2006

छत्तीसगढ़ शासन
वित्त एवं योजना विभाग
दाऊ कल्याण सिंह भवन, मंत्रालय - रायपुर

क्रमांक 31/सी-2742/वित्त/नियम/चार/2006 रायपुर, दिनांक 01 फरवरी 2006

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, बिलासपुर,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त जिलाध्यक्ष,
छत्तीसगढ़ ।

विषय:- राज्य शासन के नवनियुक्त कर्मचारियों हेतु दिनांक 1.11.2004 से नवीन अंशदायी पेंशन योजना लागू करने बाबत् ।

संदर्भ:- इस विभाग के वित्त निर्देश क्रमांक 41/2004 दिनांक 27.10.2004

संदर्भित ज्ञापन द्वारा 1.11.2004 या इसके पश्चात राज्य शासन की नियमित सेवा में नव नियुक्त शासकीय कर्मचारियों हेतु परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना लागू की गई है । शासन द्वारा उक्त योजना के तहत ऐसे शासकीय सेवकों से योजना के अंतर्गत अंशदान की नियमित कटौती माह मार्च 2006 के वेतन (अप्रेल 2006 को भुगतान योग्य) से प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया है । दिनांक 1.11.2004 से 28.2.2006 तक नवनियुक्त कर्मचारियो के अवशेष माहों के अंशदान की कटौती प्रत्येक माह एक माह की अतिरिक्त कटौती के रूप में किया जावेगा ।

(2) राज्य शासन ने यह भी निर्णय लिया है कि पेंशन निधि विनियमन एवं विकास अधिकरण [PFRDA] द्वारा निधि के विनियमन का कार्य संपादन प्रारंभ करने तक इस निधि का संधारण राज्य की लोक लेखा में किया जाय तथा लेखाकंन एवं संधारण का कार्य संचालक कोष, लेखा एवं पेंशन द्वारा किया जाए । इस हेतु संशोधित अधिसूचना एवं दिशानिर्देश इस ज्ञापन के साथ संलग्न है ।

(3) योजना का समय पर एवं सुचारू क्रियान्वयन सुनिश्चित करने हेतु निम्नानुसार कार्य योजना तय की गई है, सभी संबंधित विभाग एवं कार्यालय उक्त समय-सीमा का ध्यान रखते हुये वांछित कार्यवाही अनिवार्यत: पूर्ण करें ।

(1)	कार्यालय प्रमुख द्वारा प्रपत्र-1 में कर्मचारी का आवेदन प्राप्त करना ।	- **15 फरवरी 2006**
(2)	कार्यालय प्रमुख द्वारा प्रपत्र-2 में लेखा क्रमांक आबंटन हेतु जानकारी संचालक,कोष,लेखा एवं पेंशन, छ.ग. को उपलब्ध कराना ।	- **20 फरवरी 2006**

(3) संचालक,कोष,लेखा एवं पेंशन,
छ.ग. द्वारा लेखा कमांक आबंटित कर
कार्यालय प्रमुख को सूचित करना । - **28 फरवरी 2006**

(4) संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन द्वारा डाटाबेस
में प्रविष्ट करना । - **15 मार्च 2006**

(4) समस्त विभागाध्यक्षों की यह जिम्मेदारी होगी कि वे अपने अधीनस्थ समस्त कार्यालयों में योजना प्रारंभ करने संबंधी सूचना तथा वांछित प्रपत्र तत्काल प्राप्त करना सुनिश्चित करें यदि विभाग का कोई नवनियुक्त कर्मचारी किसी अन्य विभाग या संस्था में प्रतिनियुक्ति पर है, तो उसके पैत्रिक विभाग में शासकीय सेवा में प्रथम कार्यभार ग्रहण करने वाले कार्यालय द्वारा ऐसे कर्मचारी से प्रपत्र-1 में जानकारी प्राप्त कर लेखा कमांक आबंटित किया जाये ।

(5) समस्त कार्यालय प्रमुख निर्धारित प्रारूपों में पंजी संधारण की कार्यवाही भी इस अवधि में पूर्ण करलें ।

(6) संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन तथा कोषालय अधिकारी भी लेखाकंन एवं पंजी/प्रपंजी संधारण एवं साफ्टवेयर तैयार करने/वर्तमान साफ्टवेयर में परिवर्तन संबंधी तैयारियॉं समयबद्व तरीके से पूर्ण करेगें । संचालक द्वारा आवश्यकतानुसार प्रशिक्षण एवं सेमिनार का आयोजन भी किया जा सकेगा ।

(7) प्रत्येक कार्यालय प्रमुख को मार्च 2006 के सभी वेतन देयकों(जो अप्रेल 2006 में देय हैं) में यह प्रमाण पत्र अंकित करना होगा कि ''इस कार्यालय में 1.11.2004 या इसके पश्चात नियुक्त सभी नियमित कर्मचारियों का 'स्थायी पेंशन लेखा कमांक' संचालक,कोष,लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़ से प्राप्त कर लिया गया है, तथा इनका देयक अलग से तैयार किया गया है '' ।

संलग्नः- उपरोक्तानुसार

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(सतीश पाण्डेय)
उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग

क्रमांक 32/सी-2742/वित्त/नियम/चार/2006 रायपुर, दिनांक 01 फरवरी 2006

प्रतिलिपि-

1. राज्यपाल के सचिव, राजभवन, रायपुर ।
2. सचिव, छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय, रायपुर ।
3. सचिव, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री सचिवालय मंत्रालय ।
4. रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय, बिलासपुर, छ.ग. ।
5. सचिव, छ.ग. लोक सेवा आयोग/मानवाधिकार आयोग/राज्य निर्वाचन आयोग, /लोक आयोग, छत्तीसगढ़ रायपुर ।
6. निज सचिव/निज सहायक, मंत्री/राज्यमंत्री,छत्तीसगढ़ शासन ।
7. महाधिवक्ता/उप महाधिवक्ता, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर ।
8. महालेखाकार, छत्तीसगढ़, रायपुर ।
9. मुख्य सचिव के स्टाफ आफीसर, मंत्रालय, रायपुर ।
10. सचिव, वित्त के निज सचिव, मंत्रालय, रायपुर ।
11. आयुक्त, जनसंपर्क संचालनालय, छ0ग0, रायपुर ।
12. आवासीय आयुक्त,छत्तीसगढ़ भवन,चाणक्यपुरी,नई दिल्ली ।
13. राज्य सूचना आयुक्त, छत्तीसगढ़, रायपुर ।
14. संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़ रायपुर
15. समस्त सचिव,विशेष सचिव/संयुक्त सचिव/उप सचिव/अवर सचिव एवं समस्त शाखा, वित्त विभाग, मंत्रालय,रायपुर ।
16. अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग स्थापना/अधीक्षण/अभिलेख/मुख्य लेखाधिकारी, मंत्रालय, रायपुर
17 समस्त संभागीय संयुक्त संचालक,कोष, लेखा एवं पेंशन, छ.ग ।
16. समस्त कोषालय अधिकारी, छत्तीसगढ़ ।
19. समस्त प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला, छत्तीसगढ़ ।
20. समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघ, छत्तीसगढ़ ।
21. संचालक, शासकीय लेखन सामग्री एवं मुद्रण, रायपुर, छत्तीसगढ़ ।
22. राज्य सूचना अधिकारी,राष्ट्रीय सूचना केन्द्र (nic) को वित्त विभाग की वेबसाइट http://cgfinance.nic.in में अपलोड करने हेतु ।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

(एस.के.चकवर्ती)
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग

छत्तीसगढ़ शासन

वित्त एवं योजना विभाग

दाऊ कल्याण सिंह भवन, मंत्रालय – रायपुर

::अधिसूचना::

अधिसूचना क्रमांक 24/सी-2742/वि/नि/चार/2006, रायपुर, दिनांक 27.01.06

राज्य शासन द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक 977/सी-761/वि/नि/चार /2004, दिनांक 27.10.2004 में उल्लेखित कंडिका क्रमांक 3,4,5 एवं 7 को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाये:-

2/ **कंडिका क्रमांक-3**

योजना में शामिल होने वाले कर्मचारियों को कार्यालय प्रमुख से निर्धारित प्रपत्र में आवेदन पत्र प्राप्त होने पर संचालक,कोष,लेखा एवं पेंशन छत्तीसगढ़ द्वारा एक स्थायी पेंशन लेखा क्रमांक [PermanentPensionAccountNumber] आबंटित किया जावेगा ।

3/ **कंडिका क्रमांक-4**

प्रत्येक कर्मचारी से मासिक अंशदान की कटौती स्थायी पेंशन लेखा क्रमांक [PermanentPensionAccountNumber] आबंटित होने के पश्चात् ही प्रारंभ होगी ।

4/ **कंडिका क्रमांक-5**

योजना का लेखा संधारण एवं क्रियान्वयन संचालक,कोष,लेखा एवं पेंशन छत्तीसगढ़ द्वारा तथा निधि का नियमन''पेंशन निधि विनियमन एवं विकास प्राधिकरण''[Pension FundRegu latingandDevelopmentAuthority] द्वारा किया जायेगा ।

5/ **कंडिका क्रमांक-7**

योजना के अंतर्गत अंशदान की कटौती, लेखा संधारण एवं विनियमन संबंधी विस्तृत दिशा निर्देश पृथक् से जारी किये जायेगें ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(सतीश पाण्डेय)
उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग

Government of Chhattisgarh
Department of Finance and Planing
Mantralaya
Dau Kalyan Singh Bhavan, Raipur

-- NOTIFICATION--

Raipur, Dated 27.01.2006

No. 24/C-2742/F/R/06 Para 3,4,5 and 7 of the Notification No. 977/761/F/R/04 Raipur Dated 27.10.2004 issued by the Govt. of Chhattisgarh are here by modified and reinstituted as under:-

2/ **Para No.-3**

Permanent Pension Account Numbers to the employees, who join the Contributory Pension Scheme , will be allotted by the Director, Treasury,Account & Pension Chhattisgarh, on receipt of application from the head of office in the prescribed form.

3/ **Para No.-4**

Recovery from pay bills of the employees should be made, only after obtaining Permanent Pension Account Numbers from the Director,Treasury,Account & Pension, for each of the employees.

4/ **Para No.-5**

Director Treasury ,Account & Pension Chhattisgarh, will maintain the accounts of the Contributory Pension Scheme and the fund will be regulated by " Pension Fund Regulatory and Development Authority".

5/ **Para No.-7**

Detailed instructions regarding deduction, accounting and regulation of the Scheme will be issued separately.

By order and in the name of the
Governor of Chhattisgarh

[Satish Pandey]
Deputy Secretary
Government of Chhattisgarh
Finance Department.

नवीन अंशदायी पेंशन योजना
(छत्तीसगढ़ शासन दिनांक 01.11.2004 से लागू)

राज्य शासन की अधिसूचना क्रमांक 977/सी-761/वि/नि/चार/04, दिनांक 27.10.2004 द्वारा दिनांक 01.11.2004 अथवा इसके बाद राज्य शासन की पेंशन योग्य स्थापना में नियुक्त समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए एक नई परिभाषित ''अंशदान आधारित पेंशन योजना'' लागू की गई है । इस नवीन पेंशन योजना के मार्गदर्शी बिन्दु इस प्रकार हैं:-

1. नई अंशदायी पेंशन योजना दिनांक 01.11.2004 से प्रभावशील है । वे सभी शासकीय सेवक जो इस तिथि से या इसके बाद राज्य की सेवा में नियुक्त हुये हैं, इस नई पेंशन योजना के अंतर्गत शामिल माने जायेगें ।

यह योजना निम्नलिखित शासकीय सेवकों के लिए लागू होगी:-

1. शासन के समस्त स्थायी एवं अस्थायी नियमित कर्मचारी
2. आकस्मिकता एवं कार्यभारित सेवा के स्थाई सदस्य

यह योजना निम्नलिखित हेतू लागू नहीं होगी :-

1. पुनर्नियुक्त पेंशनर
2. दैनिक वेतनभोगी एवं संविदा नियुक्त शासकीय सेवक
3. आकस्मिकता/कार्यभारित सेवा के अस्थायी सदस्य
4. शिक्षाकर्मी

2. नई अंशदायी पेंशन योजना हेतु शासकीय सेवक से एक निश्चित राशि की मासिक कटौती चालू माह की कटौती के साथ किश्तों में (अर्थात एक अंशदान चालू माह के लिए तथा एक अंशदान बकाया माह के लिए) वेतन से अंशदान के रूप में काटी जायेगी ।

3. नवीन पेंशन योजना दो स्तरों, (2 टीयर) (टीयर-1) एवं (टीयर-2) पर आधारित है । टीयर-1 दिनांक 01.11.2004 के बाद नियुक्त होने वाले सभी शासकीय सेवकों के लिये अनिवार्य होगा । टीयर-1 के अंतर्गत शासकीय सेवक के मासिक वेतन जिसमें मूल वेतन, मंहगाई वेतन तथा मंहगाई भत्ता सम्मिलित है, के 10 प्रतिशत की राशि अंशदान स्वरूप अनिवार्य रूप से कटौती कर तथा इसके बराबर की राशि नियोक्ता के अंशदान स्वरूप सम्मिलित करते हुये उसके स्थाई पेंशन लेखा क्रमांक [PermanentPensionAccountNumber] में जमा कराई

जावेगी । सेवा अवधि में इस खाते से किसी भी आहरण की अनुमति नहीं दी जायेगी ।

टीयर-2, टीयर-1 के अतिरिक्त एक स्वैच्छिक जमा खाता रहेगा जो कि सामान्य भविष्य निधि का विकल्प होगा । नये भर्तीशुदा लोग सामान्य भविष्य निधि में अंशदान करने में सक्षम नहीं होगें । नियोक्ता द्वारा टीयर-2 के खाते में कोई अंशदान नहीं किया जाएगा । टीयर-2 खाते में आस्तियों का निवेश/प्रबंधन ठीक उसी प्रक्रिया के अनुसार होगा जो कि पेंशन टीयर-1 खाते के लिये है तथापि कर्मचारी टीयर-2 खाते के धन के संपूर्ण अंश या उसके किसी भाग को किसी भी समय निकालने के लिये स्वतंत्र होगा ।

टीयर-2 का अभी क्रियान्वयन नहीं होना है । इसे आगामी आदेश तक स्थगित रखा गया है । इसके क्रियान्वयन हेतु पृथक से आदेश प्रसारित किये जाएगें ।

4. दिनांक 01.11.2004 से इस ज्ञापन के अंतर्गत नियमित कटौती प्रारंभ होने की तिथि के बीच नियुक्त हुये शासकीय सेवक जिनकी अंशदान की कटौती अंशदायी पेंशन योजना के अंतर्गत नहीं की गई है, उनके अंशदान की कटौती, माह मार्च, 06 के वेतन देयक जो अप्रैल, 06 में भुगतान योग्य होगी, से प्रारंभ की जावेगी । शासकीय सेवक से प्राप्त अंशदान एवं नियोक्ता का अंशदान प्रतिमाह टीयर-1 के अंतर्गत उसके पेंशन लेखा में जमा किया जायेगा ।

5. शासकीय सेवक की अधिवार्षिकी सेवा निवृत्ति पर टीयर-1 पर काटी जाने वाली पेंशन अंशदान कटौती स्वमेव समाप्त हो जावेगी । उसके पेंशन लेखा क्रमांक में कुल जमा राशि का 40 प्रतिशत का निवेश अनिवार्यतः आई.आर.डी.ए. (बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण) नियंत्रित जीवन बीमा कंपनी की वार्षिकी खरीदने के लिए करना आवश्यक होगा । पेंशन लेखा की शेष 60 प्रतिशत राशि शासकीय सेवक अथवा उसके द्वारा नामित व्यक्ति द्वारा एक मुश्त प्राप्त की जावेगी जिसे वह किसी भी रीति से उपयोग करने के लिये स्वतंत्र होगा ।

यदि शासकीय सेवक अधिवार्षिकी के पूर्व सेवा से पृथक होता है तो उसके खाते में जमा कुल राशि का 80 प्रतिशत बीमा कंपनी की पेंशन योजना में जमा करना अनिवार्य होगा ।

6. नई पेंशन योजना लागू करने के लिए केन्द्रीय अभिलेख संधारण संस्था [Central Record Keeping Agency] तथा निधि प्रबंधक [Fund Manager] शासकीय सेवकों को तीन विकल्प A, विकल्प B, विकल्प C देगें, जिनके अनुसार शासकीय कर्मचारी विभिन्न अनुपातों में निश्चित आय एवं इक्विटी योजना के अंतर्गत इस राशि को नियोजित करेगें ।

इस राशि को स्वशासी संस्था ''पेंशन निधि विनियमन एवं विकास प्राधिकरण'' द्वारा नियंत्रित तथा विकसित किया जायेगा । इस संस्था के प्रभावशील होने तक निधि का प्रबंधन संचालक, कोष लेखा एवं पेंशन (छत्तीसगढ़) द्वारा किया जावेगा ।

स्थायी केन्द्रीय अभिलेख संधारित की जाने वाली एजेन्सी के गठन तथा पेंशन निधि प्रबंधक के कार्यशील होने तक प्रत्येक पेंशन लेखा तथा उसमें जमा राशि राज्य स्तर पर संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन (छत्तीसगढ़) द्वारा संधारित की जावेगी, जिस पर ब्याज सामान्य भविष्य निधि के समतुल्य दर से देय होगा ।

संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन (छत्तीसगढ़) उक्त जमा धनराशि के आहरण एवं संवितरण हेतु सक्षम प्राधिकारी होगें तथा भारत सरकार द्वारा पेंशन निधि प्रबंधक नियुक्त किये जाने के बाद उनके द्वारा स्थापित नियमों एवं प्रक्रियाओं के अधीन धनराशि ''पेंशन निधि प्रबंधक'' को भेजा जावेगा । संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन (छत्तीसगढ़) द्वारा पेंशन निधि से संबंधित सूचना/विवरण पेंशन निधि नियामक एवं विकास प्राधिकरण [PFRDA] , केन्द्रीय अभिलेख संधारण संस्था, राज्य शासन तथा अन्य सुसंगत स्तरों को उपलब्ध कराया जायेगा ।

7. **<u>प्रक्रिया एवं लेखांकन विधि</u>**

इस नई पेंशन योजना की प्रक्रिया एवं लेखांकन विधि निम्नानुसार होगी :-

(1) नवीन पेंशन योजना एक निश्चित अंशदान पर आधारित योजना है, जिसमें द्विस्तरीय अंशदान के प्रावधान रखे गये हैं । इसके अंतर्गत समस्त शासकीय सेवकों को जिनकी नियुक्ति दिनांक 01.11.2004 अथवा इसके बाद हुई है, टीयर-1 के अंतर्गत अंशदान आवश्यक रूप से देना होगा जबकि टीयर-2 का अंशदान स्वैच्छिक होगा । दिनांक 01.11.2004 या उसके बाद नियुक्त हुये शासकीय सेवक नवीन अंशदायी पेंशन योजना के अंतर्गत आते हैं, अतः उन्हें सामान्य भविष्य निधि/विभागीय भविष्य निधि का सदस्य नहीं बनाया जाएगा ।

(2) टीयर-1 के अंतर्गत शासकीय सेवक के मूल वेतन, मंहगाई वेतन एवं मंहगाई भत्ता की कुल राशि का 10 प्रतिशत राशि पेंशन अंशदान के रूप में अनिवार्य रूप से काटी जावेगी तथा उतनी ही राशि नियोक्ता की ओर से जमा की जावेगी । अंशदायी पेंशन योजना के अधीन नियोक्ता के अंशदान एवं ब्याज की धनराशि को निम्नानुसार मद से भुगतान किया जायेगा :-

(क) नियोक्ता का अंशदान

2071	-पेंशन एवं अन्य सेवानिवृत्ति हितलाभ
01	-सिविल
117	-परिभाषित अंशदान, पेंशन प्रयोजन हेतु शासकीय अंशदान
6801	-राज्य शासन का अंशदान
#12	-पेंशन एवं हितलाभ
003	- अन्य भुगतान

(ख) अंशदान पर ब्याज

2049	-	ब्याज भुगतान
60	-	अन्य देनदारियों पर ब्याज
101	-	जमा राशियों पर ब्याज
6802	-	परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना पर ब्याज
#35	-	ब्याज/ऋण अदायगी
002	-	ब्याज अदायगियां

(3) अंशदायी पेंशन योजना के टीयर-1 के अंतर्गत प्राप्त शासकीय सेवक एवं शासन के अंशदान तथा ब्याज की राशि को लोक लेखा के अंतर्गत निम्न शीर्षो में जमा किया जायेगा :-

8342	-	अन्य जमा
117	-	शासकीय सेवकों के लिए परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना
6803	-	टीयर-1 के अंतर्गत शासकीय सेवक का अंशदान
6804	-	टीयर-1 के अंतर्गत राज्य शासन का अंशदान
6805	-	अंशदान पर ब्याज

(4) शासकीय सेवक एवं नियोक्ता के अंशदान की राशि को लोक लेखा में राज्य स्तर पर अंतरिम रूप से रखा जावेगा ।

(5) टीयर-1 योजना कर्मचारी के सेवा में आने वाले माह के अगले माह से प्रारंभ की जावेगी । उदाहरणार्थः- यदि किसी शासकीय सेवक द्वारा माह नवम्बर, 2004 में सेवा प्रारंभ की जाती है तो पेंशन अंशदान की देय राशि उसके मासिक वेतन देयक दिसंबर, 2004 (जनवरी, 2005 में देय) से काटी जाना प्रारंभ की जावेगी । इसी प्रकार यदि कोई कर्मचारी दिसम्बर, 2004 में सेवा में आता है तो उसकी पेंशन अंशदान कटौती जनवरी, 2005 का वेतन (फरवरी, 2005 को देय) से प्रारंभ की जावेगी ।

(6) संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन राज्य के लिए रिकार्ड संधारण एजेन्सी के रूप में तब तक कार्य करेगें जब तक कि एक पृथक केन्द्रीय रिकार्ड संधारण एजेन्सी का गठन भारत सरकार द्वारा नहीं किया जाता । यह एक अंतरिम व्यवस्था होगी ।

(7) नवनियुक्त शासकीय सेवक नियुक्ति के पश्चात तत्काल निर्धारित पत्रक (परिशिष्ट-1) में व्यक्तिगत जानकारी दो प्रतियों में कार्यालय प्रमुख को प्रस्तुत करेगा । इस प्रपत्र को भरवाने की जिम्मेदारी संबंधित कार्यालय प्रमुख की होगी । कार्यालय प्रमुख की यह जिम्मेदारी होगी कि माह के दौरान कार्यालय में नियुक्त समस्त कर्मचारियों की संकलित जानकारी 3 प्रतियों में निर्धारित पत्रक (परिशिष्ट-2) में तैयार कर 2 प्रतियां आगामी माह के 7 तारीख तक संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन (छत्तीसगढ़) को प्रेषित करे । उक्त प्रपत्र के साथ कर्मचारियों द्वारा प्रस्तुत परिशिष्ट-1 की एक-एक प्रति भी संलग्न की जावेगी ।

(8) संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन (छत्तीसगढ़) द्वारा परिशिष्ट-2 में आहरण एवं संवितरण अधिकारी से जानकारी प्राप्त होने पर तत्काल स्थाई पेंशन लेखा क्रमांक आबंटित कर इस क्रमांक को परिशिष्ट-2 में यथा स्थान अंकित करते हुये इसकी 1 प्रति माह के 12 तारीख तक संबंधित कार्यालय प्रमुख/आहरण एवं संवितरण अधिकारी को लौटाया जाएगा ।

(9) संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन (छत्तीसगढ़) द्वारा नवनियुक्त शासकीय कर्मचारियों को पेंशन लेखा क्रमांक आबंटित करने हेतु एक इंडेक्स पंजी संधारित किया जाएगा । पंजी का प्रारूप परिशिष्ट-06 में है ।

(10) कटौती प्रारंभ करते समय आहरण एवं संवितरण अधिकारी को यह सुनिश्चित करना होगा कि शासकीय सेवक का स्थायी पेंशन लेखा क्रमांक [Permanent Pension Account Number] संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन (छत्तीसगढ़) द्वारा आबंटित किया जा चुका है ।

(11) स्थाई पेंशन लेखा क्रमांक आबंटित करने का दायित्व संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन (छत्तीसगढ़) का होगा ।

(12) संबंधित आहरण एवं संवितरण अधिकारी संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन (छत्तीसगढ़) से पेंशन लेखा क्रमांक प्राप्त होने पर तत्काल संबंधित शासकीय सेवक को सूचित करेगा एवं उसकी प्रविष्टि वेतन देयक पंजी एवं शासकीय सेवक की सेवा पुस्तिका में समुचित साख्यांकन के साथ करेगा । कर्मचारी की सेवा पुस्तिका में प्रविष्टि की जिम्मेदारी उस कार्यालय की होगी जहां उसकी सेवा पुस्तिका संधारित होती है । यह लेखा क्रमांक शासकीय सेवक के संपूर्ण सेवाकाल के लिए होगी ।

(13) संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन (छत्तीसगढ़) द्वारा स्थायी लेखा क्रमांक आबंटित करने के पश्चात् लेखा क्रमांक की प्रविष्टि तत्काल डाटाबेस में किया जाएगा ।

(14) इस योजना के तहत वेतन प्राप्त कर रहे शासकीय सेवकों का वेतन देयक पृथक से तैयार कर इनके वेतन रजिस्टर का संधारण कार्यालय प्रमुख को परिशिष्ट-5अ में अलग से करना होगा तथा कोषालय में वेतन देयक के साथ पेंशन अंशदान का वसूली शेड्यूल परिशिष्ट-3 के प्रपत्र में लगाया जायेगा । कोषालय अधिकारी द्वारा जिसकी दो प्रतियां संबंधित वेतन देयक से निकालकर एक प्रति संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन (छत्तीसगढ़) को इसप्रकार भेजी जायेगी कि उन्हें प्रत्येक माह की 5 तारीख तक अनिवार्यत: प्राप्त हो जावे तथा एक प्रति कोषालय अभिलेख में सुरक्षित रखी जावेगी ।

कार्य विभागों (लो.नि.वि., जल संसाधन, ग्रामीण यांत्रिकी, लो.स्वा. यांत्रिकी एवं वन विभाग) के ऐसे कर्मचारी जो कंडिका-1 के अंतर्गत प्रस्तुत योजना हेतु अर्ह हैं तथा जिनका वेतन देयक कोषालय के माध्यम से आहरित नहीं होता है, वरन साखपत्रों के आधार पर चेक से आहरित किया जाता है, के मामले में भी परिशिष्ट-3 में वसूली शेड्यूल तीन प्रतियों में संलग्न किया जाएगा । संबंधित संभागीय अधिकारी द्वारा लेखा संकलन के समय शेड्यूल की 2 प्रतियां अलग कर एक प्रति सीधे संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन को इस प्रकार प्रेषित किया जाएगा कि माह के 5 तारीख तक प्राप्त हो जावे तथा एक प्रति कार्यालय अभिलेख में सुरक्षित रखी जावेगी ।

(15) वेतन देयक में अन्य सभी प्रकार की कटौती राशियों के साथ पेंशन अंशदान की राशि भी कुल कटौती राशि में सम्मिलित रहेगी ।

(16) बाह्य सेवा में प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ कर्मचारी के नियोक्ता के अंशदान का भुगतान बाह्य नियोजक द्वारा प्रत्येक माह अनिवार्य रूप से किया जावेगा तथा कर्मचारी का अंशदान एवं नियोक्ता के अंशदान की कुल राशि प्रतिनियुक्ति पर लेने वाले बाह्य नियोजक को प्रतिमाह शासकीय खजाने में जमा करते हुए मूल चालान अथवा संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन छत्तीसगढ, रायपुर के पक्ष में रायपुर में भुगतान योग्य बैंक ड्राफ्ट संलग्न करते हुए परिशिष्ट-4 में जानकारी संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन (छत्तीसगढ़) रायपुर को इस प्रकार भेजा जावेगा कि प्रत्येक माह की 7 तारीख तक अनिवार्यतः यह संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन (छत्तीसगढ़) को प्राप्त हो जाये । राशि समय से प्राप्त न होने की स्थिति में विलंब की अवधि के लिये सामान्य भविष्य निधि की दर से मासिक ब्याज का भुगतान करना होगा, जिसका दायित्व बाह्य नियोजक का होगा ।

(17) कोषालय अधिकारी, कार्य विभागों तथा बाह्य नियोजक द्वारा भेजे गये परिशिष्ट-3 तथा परिशिष्ट-4 अनुसार जानकारी संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन (छत्तीसगढ़) द्वारा परिशिष्ट-5 में दिये गये प्रपंजी में संधारित की जावेगी । इस आधार पर संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन (छत्तीसगढ़) द्वारा मासिक अंशदान राशि का संकलन किया जावेगा तथा शासकीय अंशदान निर्धारित कर अंतरण राशि का प्रस्ताव वित्त विभाग को प्रत्येक माह की 20 तारीख तक प्रेषित किया जावेगा वित्त विभाग द्वारा प्रस्ताव प्राप्त होने के उपरांत प्रस्तावित की गई राशि हेतु अंतरण आदेश माह की 25 तारीख तक अनिवार्यतः महालेखाकार को प्रेषित किया जावेगा । ब्याज अनुदान का अप्रैल के माह में संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन

द्वारा वार्षिक ब्याज गणना पत्रक उपलब्ध कराने के पश्चात् वित्त विभाग द्वारा एकमुश्त अन्तरण की कार्यवाही की जावेगी ।

(18) कोषालय द्वारा नियमित वेतन देयक तथा अवशेष वेतन देयक प्राप्त होने पर कोषालय अधिकारी द्वारा नियमानुसार पेंशन अंशदान की कटौती राशि की जांच की जावेगी ।

(19) शासकीय सेवक के स्थानान्तरण होने की दशा में उसके द्वारा किये जाने वाला अंशदान तथा लेखा संधारण यथावत रहेगा अर्थात उसके पेंशन लेखा क्रमांक में कोई परिवर्तन नहीं होगा । अंतिम वेतन प्रमाण पत्र में पेंशन अंशदान की राशि को आवश्यक रूप से दर्शाया जावेगा । शासकीय सेवक द्वारा राज्य शासन के दूसरे विभाग में प्रतिनियुक्त, दूसरे विभाग में संविलियन अथवा धारणाधिकार सहित नियुक्ति की स्थिति में भी उसके स्थायी पेंशन लेखा क्रमांक में कोई परिवर्तन नहीं होगा ।

(20) शासकीय सेवक के सभी वित्तीय लेखों में पेंशन लेखा क्रमांक का उल्लेख करना आवश्यक होगा ।

(21) शासकीय सेवक की इस अंतरिम अवधि में किसी दुर्घटना से या आकस्मिक मृत्यु होने अथवा त्याग पत्र देने की दशा में लागू होने वाले प्रावधान पृथक से सूचित किये जावेगें ।

(22) अंशदान स्वरूप लोक लेखा में जमा राशि पर अंतरिम व्यवस्था के रूप में राज्य की लोक लेखा में रखे जाने की अवधि हेतु सामान्य भविष्य निधि के समतुल्य शासन द्वारा समय-समय पर घोषित ब्याज दर से ब्याज दिया जावेगा एवं ब्याज की गणना सामान्य भविष्य निधि पर देय ब्याज गणना के अनुरूप की जावेगी ।

(23) संचालक, कोष लेखा एवं पेंशन (छत्तीसगढ़) द्वारा प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर प्रत्येक पेंशन लेखा क्रमांक धारी शासकीय सेवक हेतु उसकी वार्षिक लेखा पर्ची (परिशिष्ट-07) में तैयार किया जावेगा । लेखा पर्ची में शासकीय अंशदान एवं कुल जमा राशि पर देय ब्याज राशि सहित प्रारंभिक तथा अंतिम शेष दर्शाया जावेगा । इस लेखा पर्ची को कार्यालय प्रमुख के माध्यम से शासकीय सेवक को उपलब्ध करवाया जावेगा । कार्यालय प्रमुख द्वारा परिशिष्ट-5अ अनुसार

पंजी संधारित की जावेगी तथा वार्षिक लेखा पर्ची प्राप्त होने पर कटौतियों का मिलान इस पंजी से की जाकर कार्यालय प्रमुख द्वारा प्रमाण–पत्र अंकित किया जावेगा ।

(24) प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर अंशदान की राशि का मिलान संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन (छत्तीसगढ़) कार्यालय से किया जा सकेगा ।

(25) ''पेंशन निधि विनियमन एवं विकास प्राधिकरण'' के गठन के पश्चात वित्त विभाग द्वारा निधि को स्थानान्तरण करने की नीति पृथक से सूचित की जावेगी ।